

**उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर**  
**आदेश**


क्रमांक सी/3765 /  
(तीन-18-180/75)

जबलपुर, दिनांक 19 सितम्बर, 2016

(क) रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/3646/तीन-18-180/75, जबलपुर, दिनांक 09.09.2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, जहां तक इसका संबंध उक्त आदेश की कंडिका (क) के सरल क. 1 में उल्लिखित श्री मनजीत सिंह परिहार का स्थानांतरण न्यायिक जिला स्थापना रीवा से अनूपपुर से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

(ख) श्री दिनेश कुमार टोपलानी, स्टेनोग्राफर, न्यायिक जिला स्थापना, खण्डवा द्वारा रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/3646/तीन-18-180/75, जबलपुर, दिनांक 09.09.2016 के द्वारा किये गये स्थानांतरण को निरस्त किये जाने बाबत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 14.09.2016, विचारोपरांत निरस्त किया जाता है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार


  
19.09.16  
{सनत कुमार कश्यप}  
रजिस्ट्रार (डी0ई0)

पृष्ठांकन क्रमांक सी/3766 /  
(तीन-18-180/75)

जबलपुर, दिनांक 19 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि :-

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा/अनूपपुर/खण्डवा/इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. श्री दिनेश कुमार टोपलानी, स्टेनोग्राफर, न्यायिक जिला स्थापना, खण्डवा,
3. श्री मनजीत सिंह परिहार, न्यायिक जिला स्थापना, रीवा
4. रजिस्ट्रार (आई0टी0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश की प्रतिलिपि म0 प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
5. रजिस्ट्रार (डी0ई0) के निज सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. अनुभाग अधिकारी, जिला स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

  
19.09.16  
{सनत कुमार कश्यप}  
रजिस्ट्रार (डी0ई0)

....